

सं.समा/वि वि ध//नागरिक आपू./12-13/ 77।
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
समाहर्ता का कार्यालय,
नागरिक आपूर्ति विभाग,
समाहर्तालय, मोटी दमण - 396 220
दिनांक:- 19-1-13


प्रेस नोट

दमण जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने राशन कार्ड विवरण संबंधी फॉर्म अपने उचित मूल्य की दुकान से लेकर और इसे विधिवत भरकर इस प्रेस नोट के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर उचित मूल्य की दुकान या नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रथम तल, समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण में जमा कर दें।

साथ ही उक्त फॉर्म में निर्धारित कॉलम में यू.आई.डी.सं.(आधार कार्ड सं.) या ई.आई.डी. (नामांकन सं.) एवं बैंक खाता संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है।

यदि विधिवत भरे हुए फॉर्म उचित मूल्य की दुकान या नागरिक आपूर्ति विभाग, समाहर्तालय, मोटी दमण में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होते, तो राशन कार्ड नागरिक आपूर्ति विभाग, दमण द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा।

NO IP/DMM/2/5/12-13/689
dtd: 16/1/13.


(आशा चौधरी)

नागरिक आपूर्ति अधिकारी
दमण